

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 जनवरी 2007—पौष 16, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 332/डी-5/21-अ/प्रारूपण/06 — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-09-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 28-12-2006 को अनुमति प्राप्त हो चुकी है. एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. साभंतराय, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2007)

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006

उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील करने का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

- |   |    |     |   |
|---|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.  | 1. | (1) | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 है.   |
|   |    | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.  |
| आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील. | 2. | (1) | भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली खण्ड न्यायपीठ को होगी.<br><br>परन्तु किसी अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी. |
|   |    | (2) | उपधारा (1) के अधीन कोई अपील एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर फाइल की जाएगी :<br><br>परन्तु कोई भी अपील 45 दिन के विहित काल के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता खण्ड न्यायपीठ का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील करने के लिए पर्याप्त हेतुक था.   |
|   |    | (3) | उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार फाइल की जाएगी, सुनी जाएगी और त्रिनिश्चित की जाएगी.   |
| नियम बनाने की शक्ति.  | 3. | (1) | उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों का क्रियान्वयन करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगा.  |
|   |    | (2) | विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन अपील फाइल करने, उसकी सुनवाई करने और उसका निपटारा करने की प्रक्रिया का उपबंध किया जा सकेगा.  |
| निरसन तथा व्यावृत्ति.   | 4. | (1) | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1981 (क्रमांक 29 सन् 1981) एतद्वारा निरसित किया जाता है.  |
|   |    | (2) | ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई कोई बात या की गई कार्रवाई जो अंतिम रूप से की जा चुकी है, किसी भी न्यायालय में पुनः खोली नहीं जाएगी.   |

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 332/डी-5/21-अ/प्रारूपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्र. 1 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. सामंतराव, अतिरिक्त सचिव.


CHHATTISGARH ACT  
(No. 1 of 2007)

THE CHHATTISGARH HIGH COURT (APPEAL TO DIVISION BENCH) ACT, 2006.

An Act to provide for an appeal from a judgment or order passed by one Judge of the High Court in exercise of the original jurisdiction, to a Division Bench of the same High Court.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-seventh year of the republic of India as follows :-

- |    |     |  |   |
|----|-----|--|---|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006.   | Short title and commencement.   |
|    | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.   |   |
| 2. | (1) | An appeal shall lie from a judgment or order passed by one Judge of the High Court in exercise of original Jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India, to a Division Bench comprising of two Judges of the same High Court. | Appeal to the Division Bench of the High Court from a Judgment or order of one judge of the High Court made in exercise of original jurisdiction. |
|    |     | Provided that no such appeal shall lie against an interlocutory order or against an order passed in exercise of supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution of India.   |   |
|    | (2) | An appeal under sub-section (1) shall be filed within 45 days from the date of order passed by a single Judge.   |   |
|    |     | Provided that any appeal may be admitted after the prescribed period of 45 days, if the petitioner satisfies the Division Bench that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.                               |   |
|    |     | <b>Explanation :-</b> The fact that the petitioner was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this sub-section.        |   |
|    | (3) | An appeal under sub-section (1) shall be filed, heard and decided in accordance with the procedure as may be prescribed by the High Court.   |   |
| 3. | (1) | The High Court may, from time to time, make rules for carrying out all or any of the purpose of the Act.   | Power to make rules.  |
|    | (2) | In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for the procedure of filing, hearing and disposal of appeal under sub-section (3) of section 2.   |   |
| 4. | (1) | The Chhattisgarh Uchcha Nyayalaya (Letter Patent Appeals Samapti) Adhiniyam, 1981 (No. 29 of 1981) is hereby repealed.   | Repeal and Saving.  |
|    | (2) | Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under or in pursuance of the said Act and which has attained finality shall not be reopened in any court of law.  |   |



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2014 — माघ 29, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक 1595/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-07-2013 को राज्यपाल एवं दिनांक 11-02-2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुष्मा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन)  
अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                          |    |     |   |
|--------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा धारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, 2013 कहलाएगा.  |
|                          |    | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.  |
| धारा 2 का संशोधन.        | 2. |     | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-<br><br>"स्पष्टीकरण-जहां खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश या निर्णय के विरुद्ध उठाये गये बिंदु जो, यथास्थिति, किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निर्णित किये गये हों, वहां पर यह उपधारणा की जावेगी कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश या निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया है." |

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक 1595/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 2 of 2014)


CHHATTISGARH HIGH COURT (APPEAL TO DIVISION BENCH)  
(AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |  |                               |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Amendment Act, 2013).  | Short title and commencement. |
|    | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.   |                               |
| 2. | After first proviso of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007), the following shall be added, namely :- | Amendment of Section 2.       |

“Explanation-Where points raised in the petition before the Division Bench against the order of judgment of the Single Judge were adjudicated upon, by the Sub-ordinate Court, Tribunal or Quasi-Judicial Authority, as the case may be, it shall be presumed that such order or judgment by the Single Judge of the High Court has been passed in exercise of the supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution of India.”



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मई 2016 — वैशाख 28, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक 4873/डी. 160/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 06-05-2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 25 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन)  
अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                            |    |     |  |
|----------------------------|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.   |
|                            |    | (2) | यह 6 अगस्त, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.   |
| धारा 2 का संशोधन.          | 2. |     | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये. |

रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक 4873/डी. 160/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 25 of 2016)

THE CHHATTISGARH HIGH COURT (APPEAL TO DIVISION BENCH)  
(AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

- |                               |    |     |   |
|-------------------------------|----|-----|---|
| Short title and commencement. | 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) (Amendment) Act, 2015.  |
|                               |    | (2) | It shall be deemed to have come into force with retrospective effect from 6th August, 2015.   |
| Amendment of Section 2.       | 2. |     | The Explanation to the first proviso of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007) shall stand omitted. |